









होगी।

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पुंरसं0- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH.



(एफ0आर0 खान)

सचिव



- ✓ संस्थानों को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु साठमिनट का प्रश्न पत्र देने के लिए आवेदित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकों का परिषद और इंडिया सर्विसों में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर विभिन्न नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रारंभिक शिक्षा के पुनरावलोकन पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला दुर्घटना, आर्थिक स्थिति आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ-साथ शिक्षण के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्श/संयोजित पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा (समिति) और उपसमितियाँ, संस्थानों का सम्बद्ध किया जाना विनियमन, 2000 के प्रावधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाही, 40वीं और 41वीं को परिषद की परीक्षा के संस्थान के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या एनआईटी/आईआईटी/पीआई/आईआईटी/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का उपलक्षण किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक VIVEKANANDA COLLEGE OF POLYTECHNIC, ALIGARH



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव